रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2010/फाल्गुन 5, 1931

No. 388] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2010/PHALGUNA 5, 1931

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2010

का.आ. 465(अ).—अंतर्राज्यिक नदी वंसधारा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवाद को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विवाद कहा गया है ।) न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए उड़ीसा सरकार से अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन अनुरोध प्राप्त हुआ है;

और उड़ीसा सरकार, ने उच्चतम न्यायालय में 2006 की रिट याचिका संख्या 443 फाइल की और उक्त न्यायालय ने तारीख 6-2-2009 तथा 24-11-2009 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक जल विवाद अधिकरण का गठन करने तथा उक्त विवाद उसको निर्दिष्ट करने का निदेश दिया;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित 'वंसधारा जल विवाद अधिकरण' नामक एक जल विवाद अधिकरण का गठन करती है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) न्यायमूर्ति श्री बी. एन. अग्रवाल
भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश —अध्यक्ष

(ii) न्यायमूर्ति श्री निर्मल सिंह
जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश —सदस्य

(iii) न्यायमूर्ति श्री बी. एन. चतुर्वेदी
दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश —सदस्य

[सं. 5/2/2006-बी. एम.]

भारत की राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,
एस. मनोहरन, विशेष सचिव (जल संसाधन)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2010

S.O. 465(E).—Whereas a request has been received under Section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) from the Government of Orissa to refer the water dispute regarding the Inter-State River Vansadhara, and the river valley thereof (hereinafter called the said dispute), to a tribunal for adjudication;

And whereas, the Government of Orissa filed a Writ Petition 443 of 2006 in the Supreme Court and the said Court in its order dated 6-2-2009 and 24-11-2009 directed the Central Government to constitute a water dispute tribunal and refer to it the said dispute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Water Dispute Tribunal called 'The Vansadhara Water Dispute Tribunal', with headquarters at New Delhi for the adjudication of the said dispute consisting of the following Members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, namely :—

(i)	Shri Justice B. N. Agrawal Retd. Judge of the Supreme Court of India	—Chairman
(ii)	Mr. Justice Nirmal Singh Retd. Judge of the High Court of Jammu and Kashmir	—Member
(iii)	Mr. Justice B. N. Chaturvedi Retd. Judge of the Delhi High Court	—Member

[No. 5/2/2006-BM]

By Order and in the Name of the President of India,

S. MANOHARAN, Special Secy. (Water Resoures)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.